भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

इस संकलन में मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण एवं देयताओं के लेखाओं और लेखाओं में अभिलेखित शेषों से यथा परिकलित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों सहित वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों को प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणी संख्या 5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सीधे प्राप्त जानकारी पर तैयार की गई है जो ऐसी सूचना के औचित्य की सुनिश्चितता के लिए उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत वेतन एवं लेखा कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ–साथ ऐसे लेखाओं तथा लेन देनों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेन–देनों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रधान सचिव (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संकलन के लिए उत्तरदायी है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानमण्डल को इन लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शाक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा ऐसे लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित इन लेखाओं पर विचार की अभिव्यक्ति हेतु इन लेखाओं की लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है।

Certificate of the Comptroller and Auditor General of India

This compilation containing the Finance Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year ending March 2016 presents the accounts of the receipts and disbursements of the Government for the year, together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the accounts of the public debt and the liabilities and assets as worked out from the balances recorded in the accounts. The Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year for Grants and Charged Appropriations are presented in a separate compilation.

The Finance Accounts have been compiled by the Principal Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi from the vouchers, challans and initial and subsidiary accounts rendered by the Pay & Accounts Offices responsible for the keeping of such accounts functioning under the control of the Government of National Capital Territory of Delhi and the statements received from the Reserve Bank of India. Statement No. 5 in this compilation has been prepared directly from the information received from various departments of Government of National Capital Territory of Delhi who are responsible to ensure the correctness of such information.

The Pay & Accounts Offices and/or departments functioning under the control of the Government of National Capital Territory of Delhi are primarily responsible for preparation and correctness of the initial and subsidiary accounts as well as ensuring the regularity of transactions in accordance with the applicable laws, standards, rules and regulations relating to such accounts and transactions. The Principal Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi is responsible for compilation. I am responsible for audit of these accounts and submission of Annual Accounts to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The audit of these accounts is conducted through the office of the Accountant General (Audit), Delhi, in accordance with the requirements of Article 149 of the Constitution of India, Section 48 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 and the opinion on these accounts is expressed based on the results of such audit.

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानको के अनुसार लेखापरीक्षा की गई थी। इन मानको द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे सामग्री अययार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि वित्त लेखे 2015–16 वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ–साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे मार्च 2016 को सामाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनाँकः
स्थानः नई दिल्ली